न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामचन्द्र बनाम महेन्द्र सिंह वगैरा

मु.नं. - 31/2005

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
26.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 05.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
05.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.07.11 13:02:54 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
31 / 2005	2005 / 00032	31.03.2005	05.07.2023

उनवान प्रकरण

1. रामचन्द्र पुत्र लिखमाराम (मृत्तक) जरिये –:

1/1. सुन्दरी देवी उर्फ सोमादेवी उम्र 48 साल पत्नी स्व0 रामचन्द्र

1/2. सुनील कुमार उम्र 25 साल पुत्र स्व0 रामचन्द्र

1/3. नरेश कुमार उम्र 18 साल पुत्र स्व0 रामचन्द्र

1/4. सुनिता देवी उम्र 22 साल पुत्री स्व0 रामचन्द्र

जाति समस्त मेघवंशी (बलाई) निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

— वादीगण—

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 40 साल जाति राजपूत निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. अनुकंवर पत्नी हिम्मतसिंह आयु 30 साल
3. सुप्यार कंवर पत्नी उपेन्द्रसिंह उम्र 40 साल

जाति राजपूत निवासी नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

4. भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर सीकर।

5. पटवारी हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर सीकर।

6. सब–रजिस्ट्रार तहसील श्रीमाधोपुर सीकर राज0 ।

—— प्रतिवादीगण ——

उपस्थितः–

श्री बनवारी लाल कुड़ी, श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 2, 3 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

दावा बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 110 राज0
भू–राजस्व अधि0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (राज.)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि पुराने जमीन खसरा नम्बर 1771 रकबा 3 बीघा 1773 रकबा एक बीघा कुल किता दो रकबा 4 बीघा तन ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित हैं। जिसके रिसैटलमेन्ट 1980–81 में नये खसरा नम्बर 4348, 4349, 4353, 4350 कुल किता चार कुल रकबा 1.08 हैक्टर तन ग्राम नाथूसर दर्ज किये गये हैं। इस विवादित जमीन पर वादी का पिता कदीम से वक्त बुजुर्गान से व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से काबिज काश्त चला आ रहा था एवं वादी का पिता इस जमीन पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त था। इसलिए प्रथम सैटलमेन्ट के समय पर्चा चकबंदी सैटलमेन्ट डिपार्टमेंट, राजस्थान राज्य के द्वारा वादी के पिता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हक में पर्चा संख्या 1039 संवत् 2012 से 2027 तक जारी किया गया था एवं इसी पर्चा चकबंदी के आधार पर वादी के पिता के खातेदारी/जमाबंदी भी चली आ रही है व वादी के पिता का देहान्त होने पर इस विवादित जमीन की खातेदारी विरासत के अनुसार वादी के नाम कर दी गई थी एवं वादी इस जमीन पर काबिज काश्त है एवं वर्तमान में भी वादी विवादित जमीन पर काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी नम्बर 01 का इस जमीन के कब्जे काश्त व खातेदारी से कोई संबंध नहीं हैं। वादी हरिजन बलाई मेघवंशी जाति से है एवं कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीन स्वर्ण वर्ग की जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती, न स्वर्ण जाति के व्यक्तियों की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जमीन की खातेदारी की जमीन अन्तरण की जा सकती हैं। प्रतिवादी नम्बर 01 काफी चालाक एवं पहुंच वाला व्यक्ति है एवं रिसैटलमेनट 1980 – 81 में सैटलमेन्ट विभाग के अमीन व अधिकारियों से साजिश रच कर अवैधानिक रूप से वादी के स्थान पर विवादित जमीन की खातेदारी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा ली। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है न ही ए0एस0ओ0 या एस0 ओ0 को सैटलमेन्ट के समय जमीन की खातेदारीयों में परिवर्तन करने का अधिकार हैं न वादी की इस बाबत कोई सूचना दी गई। सभी कार्यवाही ए0एस0ओ0 व प्रतिवादी नम्बर 1 ने मिलकर फर्जी रूप से की हैं। इनसे वादी कतई पाबंद नहीं हैं। प्रतिवादी का रिश्तेदार सैटिलमेन्ट में अमीन था व उससे मिलकर वादी के राजस्व रिकार्ड में फर्जीयत करायी हैं। वादी विवादित जमीन पर काबिज काश्त हैं अपने चाह से सिंचाई करता आ रहा हैं वर्तमान में जौ, चना, गेंहू की काश्त कर रखी हैं एवं रिकार्ड में फर्जीयत कराने के बाद में भी प्रतिवादी नम्बर 01 ने वादी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत नहीं की इसलिए वादी को इस फर्जीयत की कोई जानकारी नहीं हुई। वादी की खातेदारी गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी के नाम होने से वादी को काफी हक तलफी हुई हैं एवं वादी के कानूनी [illegible] पर भी इसका विपरित असर पडा हैं। इसलिए वादी को खातेदारी [illegible] दावा पेश करना आवश्यक हुआ। जमीन की बढती किमतों को देखकर प्रतिवादी नम्बर 01 के मन में बेईमानी आ गई एवं विवादित जमीन का विक्रय लेख नुमायशी रूप से प्रतिवादीगण नम्बर 02 व 03

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore
05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के हक में दिनांक 10.01.2005 को प्रतिवादी नम्बर 06 के पास प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिया है। इस विक्रय लेख को वादी अपने प्रति बेअसर एवं शून्य घोषित कराने का अधिकारी हैं। सैटलमेन्ट विभाग को वादी की खातेदारी की जमीन का अन्तरण प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है व वादी उक्त अवैधानिक कार्यवाही से पाबंद नहीं हैं। वादी बलाई जाति से हैं जो अनुसूचित जाति में आता हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति की खातेदारी की जमीन स्वर्ण वर्ग के नाम नहीं की जा सकती, न ही ए0एस0ओ0 को यह परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार हैं एवं ए0एस0ओ0 व अमीन की कार्यवाही वादी के प्रति बेअसर व शून्य है वादी द्वरा कार्यवाही को बेअसार व शुन्य घोषित कराने का कानूनी अधिकारी हैं। वादी को उक्त फर्जीयत रिकार्ड परिवर्तन की जानकारी पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तकरण तस्दीक कराने हेतु नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत नाथूसर में दिनांक 20.02.2005 को पेश करने पर हुई एवं ग्राम पंचायत ने अभी तक नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया हैं और उसी दिन वादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 से 03 को विवादग्रस्त जमीन की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने हेतू कहा एवं विक्रय लेख निरस्त कराने को कहा तो इनकार हो गये एवं धमकी दी हैं कि वादी को विवादित जमीन से बेदखल करेंगे एवं जमीन का नामन्तकरण अपने नाम से तस्दीक करायेगे इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण नम्बर 01 ता 3 राजपूत जाति के हैं हिसक व झगडालू प्रकृति के व्यक्ति हैं अगर बैजा रूप से वादी को ताकत के आधार पर अवेधानिक रूप से विवादित जमीन से बेदखल कर देंगे तो वादी ओर मुकदमें बाजी के चक्कर में पड कर बर्बाद हो जायेगा इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादी कमजोर तबके व निःसहाय व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण ताकत के आधार पर कभी भी वादी को विवादित जमीन से बेदखल क[illegible] करना आवश्यक हुआ। वादी ने वादपत्र पेश कर घोषणा [illegible] जाने का निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पु[illegible] नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिसके नये नम्बर रि–सैटिलमेन्ट में 4348, 4349, 4[illegible], 4353 तन नाथूसर दर्ज किये गये हैं। वादी की खातेदारी की जमीन हैं एवं वादी इस जमीन की खातेदारी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज कराने का अधिकारी हैं एवं सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी ए0एस0ओ0 ने विवादग्रस्त जमीन की खातेदारी दौराने रिसैटलमेन्ट प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम दर्ज कराने के आदेश दिये हैं व इसके नाम खातेदारी दर्ज कराई है वह अवैधानिक है। वादी के प्रति उक्त कार्यवाही बेअसर व शून्य हैं। वादी उक्त कार्यवाही को अपने प्रति शुन्य, बेअसर घोषित कराने का कानूनी अधिकारी हैं व विक्रय लेख प्रतिवादी नम्बर 01 ने प्रतिवादीगण नम्बर 02 व 03 के हक में दिनांक 20.01.2005 को तस्दीक कराया है। उससे वादी कतई पाबंद नहीं हैं एवं उसे वादी अपने प्रति बेअसर व शून्य घोषित कराने का अधिकारी हैं एवं अगर विवादित जमीन की खातेदारी दौराने दावा प्रतिवादीगण नम्बर 02 व 03 के नाम दर्ज कर दी जावे तो उसे भी वादी निरस्त कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 01 ता 03 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को विवादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर नये 4348, 4349, 4350, 4353 तन ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर से बेदखल न करें, न दिगर से कराये एंव न नामांतकरण तस्दीक करावे, न तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करें। वादीगण ने यह वाद बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस न्यायालय में पेश किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध दिनांक 29.04.2005 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी के फौत होने पर वादी का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश होकर स्वीकार होने पर संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की तामील सम्यक रूप से हो [illegible] नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध दिनांक 30.04.[illegible]8 [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को साक्ष्य में लिया गया। [illegible] श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के [illegible]रूद्ध दिनांक 30.04.2008 को की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

07/07/23

दिलीप सिंह
... अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर वकील वादीगण की अनापत्ति के आधार पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त की जाकर सुनवाई हेतु जवाब देही का अवसर दिया गया।

वकील प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त आराजी भूमियों के कब्जे काश्त की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट राजस्व कार्मिक से मॅगवाये जाने का निवेदन किये जाने पर पटवारी हल्का नाथूसर से वांछित रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का नाथूसर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें पटवारी हल्का नाथूसर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम नाथूसर के भूमि खसरा नम्बर 4348, 4350, 4351, 4353 कुल किता 4 कुल रकबा 1.38 है0 की खातेदारी महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत हि0 पूर्ण दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। नाथूसर के भूमि खसरा नम्बर 4349 रकबा 0.01 है0 किता–1 की खातेदारी नरेश कुमार वगै0 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 है0 किता–1 की खातेदारी उपेन्द्रसिंह वगै0 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। भूमि खसरा नम्बर 4341 रकबा 0.74 है0 किता –1 संपूर्ण पर सुन्दरी देवी उर्फ सोमा देवी पत्नि रामचन्द्र, नरेश कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामचन्द्र जाति बलाई मौके पर कब्जा काश्त के रूप में काबिज हैं। भूमि खसरा नम्बर 4349 रकबा 0.01 है0 किता –1 संपूर्ण में अनुकंवर पत्नि हिम्मतसिंह, सुप्यार कंवर पत्नि उपेन्द्र सिंह जाति राजपूत मौके पर कब्जा काश्त कर काबिज हैं। भूमि खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.31 हैक्टर में संपूर्ण में सुन्दरी उर्फ सोमा देवी पत्नि रामचन्द्र, नरेश कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामचन्द्र समस्त जाति बलाई मौके पर कब्जा काश्त कर काबिज हैं। भूमि खसरा नम्बर 4348 रकबा 0.20 है0 में से आंशिक खसरा नम्बर 4348/1 रकबा 0.19 है0 पर सुन्दरी देवी उर्फ सोमादेवी पत्नि रामचन्द्र, नरेश कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामचन्द्र समस्त जाति बलाई मौके पर कब्जाकाश्त कर काबिज हैं तथा आंशिक खसरा नं0 4348/2 रकबा 0.01 है0 पर अनुकंवर पत्नि हिम्मतसिंह, सुप्यार कंवर पत्नि उपेन्द्र सिंह जाति राजपूत मौके पर कब्जा काश्त कर काबिज हैं। भूमि खसरा नम्बर 4350 रकबा 0.60 है0 में से आंशिक खसरा नम्बर 4350/1 रकबा 0.35 है0 पर सुन्दरी उर्फ सोमादेवी पत्नि रामचन्द्र, नरेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामचन्द्र समस्त जाति बलाई मौके पर कब्जाकाश्त कर काबिज है तथा आंशिक खसरा नम्बर 4350/2 रकबा 0.25 है0 पर अनुकंवर पत्नि हिम्मतसिंह, सुग्यारकंवर पत्नि उपेन्द्र सिंह जाति राजपूत मौके पर कब्जा काश्त कर काबिज है। भूमि खसरा नम्बर 4353 रकबा 0.27 है0 में से आंशिक खसरा नम्बर 4353/1 रकबा 0.0440 है0 पर सुन्दरी उर्फ सोमादेवी पत्नि रामचन्द्र, नरेश कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामचन्द्र समस्त जाति बलाई मौके पर कब्जा काश्त कर काबिज हैं तथा आंशिक खसरा नम्बर 4353/2 रकबा 0.2260 है0 पर अनुकंवर पत्नि हिम्मतसिंह, सुग्यारकंवर पत्नि उपेन्द्रसिंह जाति राजपूत मौके पर कब्जा काश्त कर काबिज हैं। इसी अनुसार खसरा नम्बर 4348 रकबा 0.20 है0 मे से आंशिक 4348/2 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 4350 रकबा 0.60 है0 में आंशिक 4350/2 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 4353 रकबा 0.27 है0 में से आंशिक 4353/2 रकबा 0.2260 है0 व खसरा नम्बर 4349 रकबा 0.01 है0 संपूर्ण कब्जा काश्त अनुसार अनुकंवर पत्नि हिम्मतसिंह, सुग्यार कंवर पत्नि उपेन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत कब्जे काश्त में हैं।

इसी दौरान प्रकरण में वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादीगण संख्या 1/1 से 1/3 की पहचान एंव शेष वादीगण संख्या 1/4 की ओर से वादीगण वकील श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया। उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की पहचान श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। वकील वादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द किया गया। वकील वादीगण ने वादपत्र में की जाकर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया। वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार [illegible] निवेदन अपनी बहस में किया। जिस पर उपस्थित वकील [illegible] सहमति जाहिर की। वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् हेतु पत्रावली रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में मय राजीनामा व दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034, 2056 से 2059, 2074–2077, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, पर्चा चकबन्दी, पर्चा खतौनी, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 10.01.2005, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 10.01.2005 के द्वारा पंजीबद्ध कराया हुआ है। उक्त विक्रय लेख का इन्द्राज अभी तक राजस्व रिकार्ड मे नहीं होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर लगातार काश्त किया जाना प्रकट होता है। प्रकरण में पक्षकारान् वादीगण एंव प्रतिवादीगण 2 लगायत 3 के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से हाजिर न्यायालय होकर राजीनामा मय नजरी नक्शा के पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने मध्य हुए राजीनामा में अंकित विवरणानुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करवाना चाहते है तथा राजीनामा में अंकित विवरणानुसार ही पक्षकारान् मौके पर काबिज होकर अपनी–अपनी भूमियों को काश्त करते चले आना प्रमाणित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान् के द्वारा सैटलमेंट बाहमी बंटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर अपने – अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, ...

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् इस्तकरार एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौका कमिश्नर के रूप में राजस्व अधिकारी पटवारी हल्का नाथूसर व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4348 रकबा 0.20 हैक्टर में से 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 4353 रकबा 0.27 हैक्टर में से 0.0440 हैक्टर, खसरा नम्बर 4350 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.35 हैक्टर का वादीगण संख्या 1/1 से 1/4 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 4348 रकबा 0.20 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 4353 रकबा 0.27 हैक्टर में से 0.2260 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 4350 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.25 हैक्टर का प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 4349 रकबा 0.01 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी यथावत रखी जाती है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। इसी अनुसार अलग से बट्टा नम्बर दर्ज करते हुए पृथक से लगान कायम किया जाकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हो। उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.11 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर